62/2024/-
संख्या-607/26-3-2023/CN- **1789897**

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2024**

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के लिए मानक मद 41-भोजन व्यय मद की बचत से पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5822/26/स0क0/पुनर्विनियोग/2023-24 दिनांक 22.02.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 2225-01-789-12 के मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवओं के लिए भुगतान में रू0 1700.00 लाख **(रूपया सत्रह करोड़ मात्र) की धनराशि को** अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष- 2225-01-789-12 के मानक मद 41-भोजन व्यय मद में उपलब्ध **बचत** की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ 0 प्र 0 प्रयागराज तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17-03-2023 में वर्णित प्राविधानों प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0 एल 0 ए 0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-2225-01-789-12 के मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0 एम 0-9 के लेखाशीर्ष में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally Signed by रजनी कान्त पाण्डेय
Date: 18-03-2024 14:05:15
Reason: Approved

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

पृ0 सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ 0 प्र 0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ 0 प्र 0 शासन।
6- निदेशक, एन 0 आई 0 सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A026-20232024-607-26-3-2024-1789897

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के लिए मानक मद 41-भोजन व्यय मद की बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	41 (भोजन व्यय)	91,23,00,000 रुपये इक्यानबे करोड़ तेईस लाख मात्र	17,00,00,000 रुपये सत्रह करोड़ मात्र	17,00,00,000 रुपये सत्रह करोड़ मात्र	17,00,00,000	74,23,00,000	2023-2024
कुल					₹ 17,00,00,000	₹ 0 17,00,00,000	74,23,00,000	

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	66,00,00,000 रुपये छियासठ करोड़ मात्र	17,00,00,000 रुपये सत्रह करोड़ मात्र	17,00,00,000	83,00,00,000	2023-2024
कुल				₹ 17,00,00,000	₹ 0 17,00,00,000	83,0000,000	

(₹. सत्रह करोड़ मात्र)

I/522985/2024 उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-17.03.2023 में वर्णित प्राविधानों प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

R.E संख्या – बजट – 1 – 665, दिनांक 16.03.2024

संख्या: -2023-24, दिनांक- मार्च,2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, प्रयागराज।

रजनीकान्त पाण्डेय
उप सचिव

धर्मेन्द्र मिश्रा
उप सचिव

607/26.3.2024/CN.1789897

संख्या : / . दिनांक- मार्च, 2024

Digitally Signed by
धर्मेन्द्र मिश्रा
Date: 16-03-2024 13:56:31
Reason: Approved

about:blank 2/3

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रजनीकान्त पाण्डेय
उप सचिव

Digitally Signed by रजनी
कान्त पाण्डेय
Date: 15-03-2024 12:41:53
Reason: Approved